

# कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Employees' Provident Fund Organisation श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Labour & Employment, Government of India भविष्य निधि भवन / Bhavishya Nidhi Bhawan 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066 Bhikaiji Cama Place, New Delhi 110066 www.epfindia.gov.in



No. HRD/19/2018/RR for Publication/

tion/

Date: 1 9 SEP 2018

To

The Secretary,
Ministry of Labour & Employment
Government of India,
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi – 110 001.

[By Name to: Shri Samir Kumar Das, Under Secretary, (SS-I), MoL&E]

Sub: Recruitment Rules for the posts of Senior Hindi Translator, Director (Information Services), Joint Director (Information Services), Deputy Director (Information Services) and Assistant Director (Information Services) in EPFO – regarding.

Sir,

Please refer to your letters bearing no.A-12018/01/2017-SS-I (Pt.II) dated 25<sup>th</sup> July, 2018 and A-12018/16/2016-SS-I (Pt.) dated 29<sup>th</sup> August, 2018 on the subject cited above.

2. In this regard, please find enclosed herewith a copy of Gazette notification of the RRs for the post of Senior Hindi Translator, Director (Information Services), Joint Director (Information Services), Deputy Director (Information Services) and Assistant Director (Information Services) in EPFO for record. The said RRs have been published in Part-III Section—4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 13<sup>th</sup> September, 2018 vide GI No.5416 and 5417.

Yours faithfully,

Encl: As above.

M. Ngullie)

Regional P.F. commissioner (HRD)

Copy to:

1. RPFC (HRM) for information please.

2. RPFC (NDC) with the request to upload on the website of EPFO.

(M. Ngullie)

Regional P.F. commissioner (HRD)



#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	352]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940
No.	352]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

## श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

## (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

सं. एच.आर.डी./7/2018/आर.आर./सूचना सेवा प्रभाग.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 19) की धारा 5डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए अथवा किया जाना छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतदद्वारा निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा:

## 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

- 1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।
- ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हता और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. अयोग्यता.—वह व्यक्ति
  - (क) 💎 जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

5417 GI/2018 (1)

(ख) जिसने अपने पित अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- 5. **ढील देने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।
- **6.** व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद	सीधी भर्ती वाले
				अथवा गैर	उम्मीदवारों हेतु
				चयन पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	09* (2018)	ग्रुप 'क'	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	लागू नहीं
(सूचना सेवा)	*(कार्यभार के	गैर- अनुसचिवीय	लेवल-13 (1,23,100-		
	अनुसार परिवर्तनीय)		2,15,900 रुपये)		

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नतो के मामले में भी लागू	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	होंगी (8)	(9)	त्रावशव (10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 80% पदोन्नति द्वारा,  (ii) 20% प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु- अवधि  अनुबंध सहित) अथवा प्रोजेक्ट  आधार पर तथा इसके अभाव में  फीडर ग्रेड से पदोन्नति द्वारा

स्थिति में श्रेणियां, जिनने पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा  (11)  परोन्निति द्वाराः  तंत्रना 2 वेतन मैट्रिक्स (78,800-2,09,200 रूपये) में मुक्त निदेशक (मुक्ता सेवा) के पर पर पांच वर्ष की विचार करने के लिए) जिनमें भीकि सेवा जारागी परामर्श किया प्रतिनियुक्ति सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हों, जिसमें आमिल हैं:  हा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हों, जिसमें डाटावेम प्रवंधन अथवा अधिक शामिल हों।  प्रतिनियुक्ति अम एवं रोजनार मंत्रालय भारत सरकार अख्यक्ष स्थान विवक्त प्रणानी में में कोई एक अथवा अधिक शामिल हों।  प्रतिनियुक्ति हारा (अल्पाविध संविदा सहित): केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतरित वे अधिकारी:  (क) (i) मूल केंद्रर अथवा विभाग में नेवन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200 रूपये) में पत्तों के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा एवं  (ब) तीचे दी गई श्रेष्ठणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों:  सत्तिवारी पर कार्यरत:  (ह) (i) दिल्ती मान्यता प्राप्त विथवविद्यालय अथवा संस्थान में कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किया मान्यता प्राप्त विथवविद्यालय अथवा संस्थान में इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रयाद्य किया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर श्रिष्टाचित्री में मान्यत अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर विज्ञा अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूट कंपया विज्ञा के अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर विज्ञा अथवा कंप्यूटर विज्ञा अ	प्रिकेट मा प्रतिकारि मा अम्बेटन उत्पाद कर्मी केरे की	The formula water and	भर्ती करते समय किन
(11)  परोल्गित द्वाराः  (11)  परोल्गित द्वाराः  लेवल-12 वेतन मैट्रिक्स (78,800-2,09,200 रूपये) में संवुक्त निदेशक (मुचता सेवा) के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में यो मप्ताह का प्रशिक्षण मफ्ततापुर्वक पूरा किया ही, जिसमें हाटाबेम प्रबंधन अववा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली में से कोई एक अथवा अधिक शामिल ही। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविद्या सहित) : केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी : (क) (i) मूल केंद्र अथवा विभाग में नियमित आधार पर ममकल परों पर कार्यरंत (हां) मूल केंद्र अथवा विभाग में नियमित आधार पर ममकल परों पर कार्यरंत (हां) मूल केंद्र अथवा विभाग में नियमित आधार पर ममकल परों पर कार्यरंत (हां) मूल केंद्र अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकल परों पर कार्यरंत (हां) मूल केंद्र अथवा विभाग में नियमित अधार पर समकल परों पर कार्यरंत (हां) मूल केंद्र अथवा विभाग में परों के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा एवं (हां) नियमित सेवा एवं हां महित केंद्र अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर क्षेत्रात्ते (हंप्यूटर विज्ञान अथवा क्षेत्रा में स्तातक अथवा ग्रंडोगिकी) अथवा केंद्र प्रथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा क्षेत्रा में स्तातक अथवा ग्रंडोगिकी में स्तातक विश्वविद्यालय में कंप्युटर प्रौद्यांतिकी अथवा केंद्र प्रथा केंद्र प्रथा केंद्र केंद्र में सेवा क्षेत्र में अल्लाकी केंद्र केंद्र में सेवा किसी मारकार अथवा केंद्र क			
परोक्ति द्वाराः  (11)  परोक्ति द्वाराः  तेवल-12 वेतन मैट्टिक्स (78,800-2,09,200 रूपये) में संवारा परोक्ति विद्यार किया जाएगा  विवार करने के लिए। जिससे संवार में प्रविक्ति किया में विवार करने के लिए। जिससे संवार संवारा जिरहों ने संबंधित किया है। में विवार करने के लिए। जिससे संवार नियसित सेवा तथा जिन्हों ने संबंधित किया हो, जिससे आमिल हैं।  स्वारा प्रिथंकिण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिससे डाटाबेस प्रवेशन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली में ने कोई एक अथवा अधिक शासिल हों।  प्रतिनिम्तिक द्वारा (अरणाविध संविदा सहित): केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतरीत वे अधिकारी:  (क) (i) मूल केंडर अथवा विभाग में नेतन मैट्टिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200 रूपये) में पहों के ग्रेड में पांच पर्य किया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा स्वारा में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्वारा ग्राच्या केंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक अथवा पूचना प्रच्या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी) अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान एवं व्यापित अथवा सुचना ग्रीमिकी अथवा स्वारा मुचना प्रचाल किसी सरकारी कार्यालय में कंप्यूट किसी सरकारी कार्यालय में कंप्यूट किसी मरकारी कार्यालय में कार्यालय में कंप्यूट कें से सांविध केंत्र में अर्हताओं के अलावा दस वर्ष का अनुभव संविधित केंत्र में त्रीमिक्स अथवा अथवा संस्थान में कंप्यूट केंत्र में अर्हताओं के अलावा दस वर्ष का अनुभव संविधित केंत्र में त्रीमिक्स किया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान अथवा संस्थान किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कंप्यूटर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञालय संक्या विद्यालय में कंप्यूटर विज्ञालय संक्या विद्यालय में कंप्यूटर विद्यालय में कंप्यूटर विद्यालय संक्यालय स्वया (ख) () किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कंप्यूटर विद्यालय में कंप्यूटर विद्यालय संक्यालय संक्यालय संक्यालय स्वयालय स्वयालय संक्यालय संवर संक्यालय संवर संवर संवर संवर संवर संवर संवर संवर	_	। गाठत ह, ता उसका सरचना 	
(11)  परोग्निति द्वारा:  लंबल-12 बेतन मैट्रिक्स (78,800-2,09,200 रूपये) में संयुक्त तिर्वशक (सुवना सेवा) के पर पर पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में में मन्ति हों। पर सेवियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में से मन्ति हों। पर संघ लोक सेवा शामिल हैं:  ता प्रिशिक्षण मफलतापुर्क पूरा किया हों, जिसमें आपिल हैं:  ग्रतिवियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में से मन्त्राह हों। प्रतिवियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में से मन्त्राह हों। पर संघ लोक सेवा शामिल हैं:  ग्रतिवियमित सेवा तथा प्रज्ञ सरकार के अववा अधिक शामिल हों।  ग्रतिवियमित स्वारा (अल्लाबि संविवा सहित): क्षेत्र संघात क्षेत्र आप संवालय भारत मरकार स्वरस्थ संचालय प्राच्या सरकार के अववा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत;  (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में विनमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत;  (iii) मूल कैडर अथवा विभाग में विनमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत;  (iii) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत;  (iii) मूल कैडर अथवा विभाग में सेवत मेट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200 रूपये) में परों के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा एवं  (ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अहंताएं एवं अनुभव रखते हों:  श्रतिवार्य अर्थ्व मुल्व में संचातक अथवा में संचात से कंप्यूटर विज्ञान अथवा सुक्ता प्राच्या किसी माण्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थात से कंप्यूटर औशोगिकी): अथवा किसी माण्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी माण्यता प्राप्त संस्थात सेवा क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा संवात महित किसी सरकारी कार्यलाय मुनना प्रणाति के क्षेत्र में अहंताओं के अलावा दस वर्ष का अनुभव संवीदित क्षेत्र में तीनियरिंग अथवा नेटवर्क सिस्टम में से एक अथवा अथवा संवात महित किसी सरकारी कार्यलाय मुनना प्रणाति के संवीदित क्षेत्र में तीनियर्य होत्यो स्वर्य मुनना प्रणाति के संवीदित क्षेत्र में तीनियर्य होत्य में एवं अथवा ज्ञान संवात सहित होत सेवा सित्य संवात सित्य सित्य संवात सि	आमलन किया जाएगा 		
वंबल-12 बेतन मैट्रिक्स (78,800-2,09,200 रूपपे) में संयुक्त निदेशक (सूचना सेवा) के एव पर पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें हाटावेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली में में कोई एक अथवा अधिक शामिल हो। प्रतिनेयुक्ति द्वारा (अल्याबधि संविद्या सहित) : केंद्र सरकार अथवा राविताय के सेवा अधिक शामिल हो। प्रतिनेयुक्ति द्वारा (अल्याबधि संविद्या सहित) : केंद्र सरकार अथवा राविताय के सेवा अधिक शामिल हो। प्रतिनेयुक्ति द्वारा (अल्याबधि संविद्या सहित) : केंद्र सरकार अथवा राविताय के सेवा सामक प्रयोग पर कार्यरत; (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत; (iii) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200 रूपये) में परों के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा एवं (ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों: अनिवार के केंद्र स्वाम संव्यान से कंप्यूटर अनुभयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा मृत्वना प्रौधोगिकी), अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा क्षेत्र सेवा सेवा सेवा संव्यान सहित किसी सरकारी कार्यव्या मृत्वना प्रौधोगिकी अथवा कंप्युटर विज्ञान अथवा क्षेत्र सेवा संव्यान सहित जिसी सरकारी कार्याव्य मृत्वना प्रणाली के सेवा के अल्वा वा स्वा के अल्वा क्षेत्र सेवा सेवा क्षेत्र सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा	(11)	(12)	
वंजना 12 वेतन मैट्रिक्स (78,800-2,09,200 रूपये) में संयुक्त निरेशक (सूचना सेवा) के पर पर पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह हा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें झाटाबेस प्रवंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्राचित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह हो। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें झाटाबेस प्रवंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्राचित सुक्त झार (अल्पाविध संविद्या सिहत) : कंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी: (क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष परों पर कार्यरद; (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200 रूपये) में परों के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा एवं (ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुमव रखते हों: अनिवर्षित के संपूर्वर विज्ञान अथवा संस्थान से इंप्यूटर अनुप्रयोग में स्वातकोत्तर उपाधि अथवा कियान स्वातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा क्षेत्रवा विज्ञान स्वातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा क्षेत्रवा विवात अथवा सुचना प्रौद्योगिकी), अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा क्षेत्रवा विवात अथवा सुचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा स्वात्व अथवा सुचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा सुचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा सुचना अथवा स्वात्व विक्रा अथवा क्षेत्रवा किया अथवा सुचना प्रौद्योगिकी अववा कंप्यूटर विज्ञान अथवा सुचना प्रौद्योगिकी अववा सुचना प्रौद्योगिकी केपाल केपा	पदोन्नति द्वारा :	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति	पदोन्नति पर नियुक्ति
अनुप्रयाग अथवा कप्यूटर विज्ञान में उपाधि अथवा   इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि	लेवल-12 वेतन मैट्रिक्स (78,800-2,09,200 रूपये) में संयुक्त निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली में से कोई एक अथवा अधिक शामिल हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पाविध संविदा सिहत): केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी: (क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत; (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200 रूपये) में पदों के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा एवं (ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों: अनिवार्य अर्हताएं: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग अथवा क्ष्यवा प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक (ii) किसी सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सार्विधिक निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान सहित, प्रोग्रामिंग अथवा सूचना प्रणाली के *संवंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा दस वर्ष का अनुभव * संवंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा दस वर्ष का अनुभव * संवंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा दस वर्ष का अनुभव * संवंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा दस वर्ष का अनुभव * संवंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा दस वर्ष का अनुभव * संवंधित क्षेत्र से तात्पर्य डाटाबेस प्रवंधन अथवा उससे अधिक। अथवा	(पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- i. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार : अध्यक्ष ii. अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार : सदस्य iii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त :	अथवा प्रतिनियुक्ति होने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की

(ii) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।

टिप्पणी 1 : केंद्र सरकार भलीभांति योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, स्वविवेक से अर्हताओं में छूट दे सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छुट दी जा सकती है।

टिप्पणी 3: केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग – बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्त (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सामान्यत पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो।

टिप्पणी 5: प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु दिनांक 01.01.2016 को (उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा जहां समान वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा जहां समान वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान के साथ एक से अधिक वेतनमान के संशोधन से पहले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और जहां यह लाभ उस पद को ही प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान किसी उन्नयन के बिना समान प्रतिष्ठापन ग्रेड है, को छोड़कर आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा।

सुशील कुमार लोहानी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि [विज्ञापन-III / 4 / असा. / 228 / 18]

#### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISTION)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2018

**No.HRD/7/2018/RR/IS Division:-** In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Director (Information Services) Recruitment Rules, 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, Central Board (Employees' Provident Fund), hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (information Services) in the Employees' Provident Fund Organisation, namely:—

- 1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Director (Information Services) Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.-** The number of the posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.- No Person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.- Where the Central Board, Employees' Provident Fund, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the Pay	Whether selection post	Age limit for
			Matrix	or Non-selection post	direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	09* (2018)	Group 'A',	Level – 13 in the	Selection	Not
(Information	*Subject to variation	Non-	Pay Matrix		Applicable
Services)	dependent on	Ministerial	[Rs.1,23,100-		
	workload		2,15,900]		

other qualifications	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	probation,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	(i) 80% by Promotion, and (ii) 20% by Deputation (Including short-term Contract) or project basis failing which by promotion from feeder grade.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made  (11)	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
By Promotion: Joint Director (Information Services) in level-12 in the Pay Matrix [Rs.78,800-2,09,200] with five years regular service in the grade and have successfully completed training of two weeks in the relevant areas which includes one or more out of Database management or Operating Systems or Network Systems.  By Deputation (Including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; (ii) With five years regular service in the grade in posts in Level-12 in the Pay Matrix [Rs.78,800-2,09,200] in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed as under: Essential Qualification: (i) Master's Degree in Computer Applications or Master of Science (Computer Science or Information Technology) from a recognized University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or deputation) consisting of:- (i) Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour and Employment - Chairman (ii) Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment -Member (iii) Central Provident Fund Commissioner - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary while making appointment on promotion or deputation.

Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognized University or Institute.

(ii) Ten years post qualification experience in relevant areas\* of Programming or Information System in a Government Office including such experience in Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory body or in any recognized institution.

\*relevant areas mean one or more out of Database Management or Operating Systems or Network Systems.

#### OR

- (B) (i) Degree in Computer Applications or Computer Science or Degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognized University.
- (ii) Ten years' experience in Electronic Data Processing out of which at least one year experience should be in actual Programming.
- **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates, otherwise well qualified.
- **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
- **Note 3:** The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
- **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
- **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in pay matrix or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that level in pay matrix or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

संख्या: एच.आर.डी./7/2018/आर.आर./सूचना सेवा प्रभाग- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 19) की धारा 5डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतदद्वारा संयुक्त निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा:

## 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

- 1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, संयुक्त निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।
- 2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

# 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-

उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

# 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अहर्ताएं आदि-

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

# 4. अयोग्यता- वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा
- (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

#### ढील देने की शक्ति-

जहां केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

## व्यावृत्ति –

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद	सीधी भर्ती वाले
				अथवा	उम्मीदवारों हेतु आयु
				गैरचयन पद	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त निदेशक	30* (2018)	ग्रुप 'क'	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-	चयन पद	लागू नहीं
(सूचना सेवा)	  (*कार्यभार के	गैर -	12 (78,800-		
	् अनुसार	अनुसचिवीय	2,09,2 00 रूपये)		
	परिवर्तनीय)				

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नतो के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 80 % पदोन्न्ति द्वारा
			(ii) 20% प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु-
			अवधि अनुबंध सहित) अथवा प्रोजेक्ट आधार पर

पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)  पदोन्नित द्वारा: लेवल-11 वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700 रूपये) में उप निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली में से कोई एक अथवा अधिक शामिल हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित): केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी: (क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत; (ii) मूल कैडर / विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67,700-2,08,700 रूपये) में पदों के ग्रेड में 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा एवं	(12)  ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:—  і. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार: अध्यक्ष  іі. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त : सदस्य  ііі. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वांछित अर्हता एवं अनुभव रखने वाले समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी, - सदस्य	(13) पदोन्तति पर नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति होने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

# (ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों: **अनिवार्य अर्हतांए**:

(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक (कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी) में स्नातक

- (ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान सहित किसी सरकारी कार्यालय में, ऐसे अनुभव सहित, डाटाबेस प्रबंधन अथवा प्रोग्रामिंग के ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली में अर्हताओं के अलावा आठ वर्ष का अनुभव अथवा
- (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा कंप्यूटर विज्ञान में उपाधि अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि
- (ii) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।

टिप्पणी 1 : केंद्र सरकार भली भांति योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, स्वविवेक से अर्हताओं में छूट दे सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए आरिक्षत पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सिहत उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छुट दी जा सकती है।

टिप्पणी 3: केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग – बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो। टिप्पणी 5: प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु दिनांक 01.01.2016 को (उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा जहां समान वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान के साथ एक से अधिक वेतनमान के संशोधन से पहले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और जहां यह लाभ उस पद को ही प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान किसी उन्नयन के बिना समान प्रतिष्ठापन ग्रेड है, को छोड़कर आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा।

सुशील कुमार लोहानी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि [विज्ञापन-III / 4 / असा. / 228 / 18]

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2018

**No.HRD/7/2018/RR/IS Division:**—In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), the Central Board (Employees' Provident Fund), hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Information Services) in the Employees' Provident Fund Organisation, namely:—

- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Joint Director (Information Services) Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.**—The number of the posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.—No Person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Board, Employees' Provident Fund, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the Pay	Whether selection post	Age limit for
			Matrix	or Non-selection post	direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint	30* (2018)	Group 'A',	Level – 12 in the	Selection	Not
Director	*Subject to	Non-	Pay Matrix		Applicable
(Information	variation dependent	Ministerial	[Rs.78,800 -		
Services)	on workload		2,09,200]		

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	probation,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable.	Not	(i) 80% by Promotion, and
		Applicable	(ii) 20% by Deputation (including short-term
			contract) or project basis.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption,	If a departmental	Circumstances in
grades from which promotion or deputation or absorption to be	Promotion Committee	which Union Public
made	exists, what is its	Service Commission
	composition	is to be consulted in
		making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'A' Departmental	Consultation with the
Deputy Director (Information Services) in level-11 in the Pay	Promotion Committee	Union Public Service
Matrix [Rs.67,700-2,08,700] with 05 (five) years regular service in	(for considering	Commission is not
the grade and have successfully completed training of two weeks in	promotion or	necessary while
the relevant areas which includes one or more out of Database	<b>deputation</b> ) consisting	making appointment
management or Operating Systems or Network Systems.	of:—	on promotion or
	(i) Secretary to the	deputation.
By Deputation (Including short-term contract):	Govt. of India,	
Officers under the Central Government or State Government:	Ministry of Labour	
(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre	and Employment —	
or Department;	Chairman	
or	(ii) Central Provident	
(ii) With 05 (five) years' service in the grade rendered after	Fund Commissioner	
appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 in	- Member	
the Pay Matrix [Rs.67,700-2,08,700] in the parent cadre or	(iii) Senior Technical	
department;	Director, National	
and	Informatics Centre	
(b) Possessing the educational qualifications and experience	or an official of	
prescribed as under:	equivalent rank	
Essential Qualification:—	having requisite	
(A) (i) Master's Degree in Computer Applications or Master of	qualification and	
Science (Computer Science or Information Technology) from a	experience in the	
recognized University or Institute; or	field of information	
Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology (Computer	technology -	
Engineering or Computer Science or Computer Technology or	Member	
Computer Science and Engineering or Information Technology)		
from a recognized University or Institute.		
(ii) Eight years post qualification experience in one or more out of		
Database Management or Operating Systems or Network Systems		

of Programming or Information System in a Government Office including such experience in Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognized institution.

#### OR

- (B) (i) Degree in Computer Applications or Computer Science or Degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognized University.
- (ii) Eight years' experience in Electronic Data Processing out of which at least 1 year experience should be in actual Programming.
- **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates, otherwise well qualified.
- **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
- **Note 3:** The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
- **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 5: For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix or pay scale and where this benefit will extend only for the post (s) for which that level in the pay matrix or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

SUSHIL K. LOHANI, Central Provident Fund Commissioner and Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./228/18]

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

संख्या: एच.आर.डी./7/2018/आर.आर./सूचना सेवा प्रभाग—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 19) की धारा 5डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उप निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए

अथवा किया जाना छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतदद्वारा उप निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

## 1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ—

- 1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।
- 2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

# 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल—

उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसुची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

# 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि—

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

# 4. अयोग्यता—वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा
- (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

## 5. ढील देने की शक्ति—

जहां केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

# 6. व्यावृत्ति—

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद	सीधी भर्ती वाले
				अथवा	उम्मीदवारों हेतु आयु
				गैरचयन पद	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक	60* 2017-	ग्रुप 'क'	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	लागू नहीं
(सूचना सेवा)	2018	गैर -	लेवल-11 (67,700-		
	(*कार्यभार के	अनुसचिवीय	2,08,7 00 रूपये)		
	अनुसार				
	परिवर्तनीय)				

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नतो के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 80% पदोन्नति द्रवारा,
			(i) 20% प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु-
			अवधि अनुबंध सहित) अथवा प्रोजेक्ट
			आधार पर

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की	यदि विभागीय पदोन्नति समिति	भर्ती करते समय किन
स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	गठित है, तो उसकी संरचना	परिस्थितियों में संघ
आमेलन किया जाएगा		लोक सेवा आयोग से
·		परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा:	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति	पदोन्नति पर नियुक्ति
लेवल-10 वेतन मैट्रिक्स (56,100-1,77,500 रूपये) में	(पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध	अथवा प्रतिनियुक्ति
सहायक निदेशक (सुचना सेवा) के पद पर पांच वर्ष की	में विचार करने के लिए) जिसमें	होने पर संघ लोक सेवा
नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह	"   शामिल हैं:—	आयोग से परामर्श की
का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें	`	आवश्यकता नहीं है।
डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क	i. अपर सचिव अथवा संयुक्त	
प्रणाली में से कोई एक अथवा अधिक शामिल हो।	सचिव, श्रम एवं रोजगार	
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पाविध संविदा सहित) : केंद्र	मंत्रालय, भारत सरकार :	
सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी :	अध्यक्ष	
(क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर	ii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त	
समकक्ष पदों पर कार्यरत;	अथवा अपर केंद्रीय भविष्य	
, '	निधि आयुक्त (मुख्यालय) :	
(ii) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-	सदस्य	
10 (56,100-1,77,500 रूपये) में पदों के ग्रेड में पांच	iii. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय	
वर्ष की नियमित सेवा	   सूचना केंद्र, — सदस्य	
एवं	्रूपमा मञ्ज, — सपस्य 	
(ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों:		
अनिवार्य अर्हतांए :		
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा		
संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि		
अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा		
सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यता प्राप्त		
विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक		
अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक (कंप्यूटर इंजीनियरिंग		
अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा		
कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अथवा सूचना		
प्रौद्योगिकी) में स्नातक		

- (ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान सहित किसी सरकारी कार्यालय में, ऐसे अनुभव सहित, प्रोग्रामिंग अथवा सूचना प्रणाली के \*संबंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा पांच वर्ष का अनुभव
- \*संबंधित क्षेत्र से तात्पर्य डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा नेटवर्क सिस्टम में से एक अथवा उससे अधिक ।

#### अथवा

- (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा कंप्यूटर विज्ञान में उपाधि अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि
- (ii) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में 05 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।

टिप्पणी 1 : केंद्र सरकार भलीभांति योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, स्वविवेक से अर्हताओं में छूट दे सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छुट दी जा सकती है।

टिप्पणी 3: केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग – बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो।

टिप्पणी 5 : प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु दिनांक 01.01.2016 को (उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा तदनुरूपी ग्रेड वेतन अथवा जहां समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक से अधिक वेतनमान के संशोधन से पहले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और जहां यह लाभ उस पद को ही

प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान किसी उन्नयन के बिना समान प्रतिष्ठापन ग्रेड	
है, को छोड़कर आयोग की सिफारिशों के आधार पर	
प्रदान किए गए वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना   जाएगा।	

सुशील कुमार लोहानी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि [विज्ञापन-III / 4 / असा. / 228 / 18]

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2018

No.HRD/7/2018/RR/IS Division:- In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Deputy Director (Information Services) Recruitment Rules, 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, Central Board (Employees' Provident Fund), hereby makes following rules regulating the method of Recruitment for the post of Deputy Director (Information Services) in the Employees' Provident Fund Organisation namely:-

- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Deputy Director (Information Services) Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force from the date of publication in the official gazette.
- 2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.-** The number of the posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.- No Person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.-** Where the Central Board, Employees' Provident Fund, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Information Services)	60* (2018) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A', Non- Ministerial	Level – 11 in the Pay Matrix [Rs.67,700- 2,08,700]	Selection	Not Applicable

Educational and	Whether age and educational	Period of	Method of recruitment whether by direct
other qualifications	qualifications prescribed for direct	probation,	recruitment or by promotion or by deputation
required for direct	recruits will apply in the case of	if any	or absorption and percentage of the vacancies
recruits	promotees		to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable.	Not	(i) 80% by Promotion, and
		Applicable	(ii) 20% by Deputation (including short–term
			contract) or project basis.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades	If a departmental	Circumstances
from which promotion or deputation or absorption to be made	Promotion Committee	in which Union
	exists, what is its	Public Service
	composition	Commission is
		to be consulted
		in making
		recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Promotion:	Group 'A'	Consultation
Assistant Director (Information Services) in level-10 in the Pay Matrix	Departmental	with the Union
[Rs.56,100-1,77,500] with five years regular service in the grade and have	Promotion Committee	Public Service
successfully completed training of two weeks in the relevant areas which	(for considering	Commission is
includes one or more out of Database management or Operating Systems	promotion or	not necessary
or Network Systems.	deputation) consisting	while making
	of:-	appointment on
By Deputation (Including short-term contract):	(i) Additional	promotion or
Officers under the Central Government or State Government:	Secretary or Joint	deputation.
(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or	Secretary to the	
Department;	Government of	
or	India, Ministry of	
(ii) With five years regular service in the grade in posts in level-10 in the	Labour and	
Pay Matrix [Rs.56,100-1,77,500] in the parent cadre or department;	Employment -	
and	Chairman	
(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed as	(ii) Central Provident	
under:-	Fund	
Essential Qualification:-	Commissioner or	
(A) (i) Master's Degree in Computer Applications or Master of Science	Additional Central	
(Computer Science or Information Technology) from a recognized	Provident Fund	
University or Institute; or	Commissioner	
Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology (Computer	(Hqrs.) - <b>Member</b>	
Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer	(iii) Technical Director,	
Science and Engineering or Information Technology) from a recognized	National	
University or Institute.	Informatics Centre	
(ii) Five years post qualification experience in relevant areas* of	– Member	

Programming or Information System in a Government Office including such experience in Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognized institution.

\*relevant areas mean one or more out of Database Management or Operating Systems or Network Systems

#### OR

- (B) (i)Degree in Computer Applications or Computer Science or Degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognized University.
- (ii) Five years' experience in Electronic Data Processing out of which at least 1 year experience should be in actual Programming.
- **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates, otherwise well qualified.
- **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
- **Note 3:** The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
- **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that level in the pay matrix or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

SUSHIL K. LOHANI, Central Provident Fund Commissioner and Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

संख्या: एच.आर.डी./7/2018/आर.आर./सूचना सेवा प्रभाग- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 19) की धारा 5डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सहायक निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए अथवा किया जाना छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, (कर्मचारी भविष्य निधि), एतदद्वारा सहायक निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा:

## 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

- 1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।
- ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

# 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

# भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अहर्ताएं आदि-

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

# 4. अयोग्यता- वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा
- (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

#### ढील देने की शक्ति-

जहां केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

# व्यावृत्ति –

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद	सीधी भर्ती वाले
				अथवा	उम्मीदवारों हेतु आयु
				गैरचयन पद	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक	120* (2018)	ग्रुप 'क'	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	लागू नहीं
(सूचना सेवा)	*(कार्यभार के	। गैर -	लेवल-10 (56,100 -		
	अनुसार	अनुसचिवीय	1,77,500 रूपये)		
	परिवर्तनीय)	)	,		

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित			, क्या सीधी भर्ती या
तथा अन्य योग्यताएं	अम्माद्यारा काल्लु निवारित   आयु तथा शैक्षिक योग्यता	अवधि, यदि कोई		या प्रतिनियुक्ति या
त्या जन्य याग्यताषु	पदोन्नती के मामले में भी	हो		तथा विभिन्न पद्धतियों
	लागू होंगी			गाने वाली रिक्तियों का
			प्रतिशत	
(7)	(8)	(9)		(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	(i) 80% <sup>τ</sup>	ग्दोन्नति द्वारा
				प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु-
				अनुबंध सहित) अथवा
			प्रोजेक्ट	आधार पर
पदोन्नति या प्रतिनियुक्तिः	या आमेलन द्वारा भर्ती होने की	यदि विभागीय पर	रोन्नति समिति	भर्ती करते समय किन
स्थिति में श्रेणियां, जिनसे	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	गठित है, तो उसकी सं	रचना	परिस्थितियों में संघ
आमेलन किया जाएगा	, and the second	ζ,		लोक सेवा आयोग से
Survey and the				परामर्श किया जाएगा
	(11)	(12)		(13)
प्रोग्रामर (सुचना सेवा) के सेवा तथा जिन्होंने संबंधित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्य प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग में से कोई एक अथवा अधि प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प सरकार अथवा राज्य सरक (क) (i) मूल कैडर अथवा समकक्ष पदों पर कार्यरत; (ii) मूल कैडर अथवा (47,600-1,51,100 रूप	47,600-1,51,100 रूपये) में पद पर तीन वर्ष की नियमित धेत क्षेत्र में दो सप्ताह का रा किया हो, जिसमें डाटाबेस प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली क शामिल हो।  ावधि संविदा सहित) : केंद्र ार के अंतर्गत वे अधिकारी : विभाग में नियमित आधार पर  ा विभाग में वेतन मैट्रिक्स पे) लेवल-08 में पदों के ग्रेड में	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- i. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त : अध्यक्ष ii. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त : (सूचना सेवा) सदस्य iii. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, - सदस्य		पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति होने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
03 वर्ष की नियमित सेवा				
12				

# (ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों: **अनिवार्य अर्हताएं :**

- (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी (कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी) में स्नातक
- (ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान सहित किसी सरकारी कार्यालय में प्रोग्रामिंग अथवा सूचना प्रणाली के \*संबंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा तीन वर्ष का अनुभव
- \* संबंधित क्षेत्र से तात्पर्य डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा नेटवर्क सिस्टम में से एक अथवा उससे अधिक।

#### अथवा

- (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा कंप्यूटर विज्ञान में उपाधि अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि
- (ii) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में 03 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।
- टिप्पणी 1 : केंद्र सरकार भलीभांति योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, स्वविवेक से अर्हताओं में छूट दे सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए आरिक्षत पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सिहत उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छट दी जा सकती है।
- टिप्पणी 3: केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो।
- टिप्पणी 5 : प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)

आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु दिनांक 01.01.2016 को (उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा तदनुरूपी ग्रेड वेतन अथवा जहां समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक से अधिक वेतनमान के संशोधन से पहले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और जहां यह लाभ उस पद को ही प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान किसी उन्नयन के बिना समान प्रतिष्ठापन ग्रेड है, को छोड़कर आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा।

सुशील कुमार लोहानी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि [विज्ञापन-III / 4 / असा. / 228 / 18]

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2018

No.HRD/7/2018/RR/IS Division:- In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Director (Information Services) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Central Board (Employees' Provident Fund), hereby makes following rules regulating the method of Recruitment for the post of Assistant Director (Information Services) in the Employees' Provident Fund Organisation namely:-

- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Assistant Director (Information Services) Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.** The number of the posts, its classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualifications.- No Person, -**
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

#### shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Board, Employees' Provident Fund, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of	Number of post	Classification	Level in the pay	Whether selection	Age limit for
Post			matrix	post or Non-	direct recruits
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant	120* (2018)	Group 'A', Non-	Level-10 in the Pay	Selection	Not Applicable
Director		Ministerial	Matrix		
(Information	*Subject to		Rs. 56,100-1,77,500		
Services)	variation				
	dependent on				
	work load				

Educational and	Whether age and educational	Period of	Method of recruitment whether by direct
other qualifications	qualifications prescribed for	probation,	recruitment or by promotion or by deputation or
required for direct	direct recruits will apply in the	if any	absorption and percentage of the vacancies to be
recruits	case of promotees		filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two	(i) 80% by Promotion, and
		Years.	(ii) 20% by Deputation (Including short-term
			contract) or project basis.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades	If a departmental	Circumstances
from which promotion or deputation or absorption to be made	Promotion	in which Union
	Committee exists,	Public Service
	what is its	Commission is
	composition	to be consulted
		in making
		recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion:	Group 'A'	Consultation
Programmers in level-8 in the pay matrix [Rs.47,600-1,51,100] with three	Departmental	with the Union
years regular service in the Grade and have successfully completed training	Promotion	Public Service
of two weeks in the relevant areas which includes one or more out of	Committee (for	Commission is
Database Management or Operating Systems or Network Systems.	considering	not necessary
	promotion or	while making
By deputation (Including short-term contract):	deputation)	appointment on
Officers under the Central Government or State Government:	consisting of:-	promotion or
(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or	(i) Central Provident	deputation.
Department;	Fund	
or	Commissioner-	
(ii) With 03 years' service in the grade rendered after appointment thereto	Chairman	
on a regular basis in posts in level-8 in the Pay matrix [Rs.47600-	(ii) Additional	
151100] in the parent cadre or department; and	Central Provident	
(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed as	Fund	
under:-	Commissioner	
Essential Qualification:-	(Information	
(A) (i) Master's Degree in Computer applications or Master of Science	Services) –	
(Computer Science or Information Technology) from a recognized	Member	
University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of	(iii) Technical	
Technology in Computer Engineering or Computer Science or	Director	
Computer Technology or Computer Science and Engineering or	(National	
Information Technology from a recognized University or Institute.	Informatics	
(ii) Three years post qualification experience in relevant areas* of	Centre) –	
programming or Information System in a Government Office including	Member	

such experience in Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognized Institutions.

\*Relevant areas means one or more out of Database Management or Operating Systems or Network Systems.

#### OR

- (B) (i)Degree in Computer Applications or Computer Science or Degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognized University.
- (ii) Three years' experience in Electronic Data Processing out of which at least 1 year experience should be in actual Programming.
- **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates, otherwise well qualified.
- **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
- **Note 3:** The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
- **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common level in pay matrix or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that level in pay matrix or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

SUSHIL K. LOHANI, Central Provident Fund Commissioner and Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./228/18]



#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

# प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] No. 351] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

## श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

#### (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सं. मा.सं. प्र. /22/2016/आर.आर./ओ.एल. - कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक भर्ती नियम, 2003 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए अथवा किया जाना छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एतदद्वारा वरिष्ठ हिंदी अनुवादक भर्ती के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा:

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ- (1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (वरिष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. अयोग्यता- वह व्यक्ति, -
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा
  - (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

5416 GI/2018 (1)

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को, अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- 5. ढील देने की शक्ति- जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से विचार विमर्श द्वारा तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

		38		
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा
				गैरचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ हिं	दी   97* (2018)	ग्रुप 'ख'	लेवल-7 (44900-	चयन पद
अनुवादक	*कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय		142400 रुपये)	

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नित द्वारा।  किनष्ठ हिंदी अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रूपये) के लेवल-6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं:- i. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मानव संसाधन) - <b>अध्यक्ष</b> ii. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- । (मानव संसाधन) - <b>सदस्य</b> iii. निदेशक (राजभाषा), ऐसा न होने की स्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम उप निदेशक (राजभाषा) - <b>सदस्य</b>	` '

सुनील बड़थ्वाल केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि [विज्ञापन-III / 4 / असा. / 227 / 18]

#### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2018

**No.HRD/22/2016/RR/OL.**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation, Senior Hindi Translator Recruitment Rules 2003, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board hereby makes the following rules to regulating the method of recruitment to the post of Senior Hindi Translator in the Employees' Provident Fund Organisation, under the Ministry of Labour and Employment, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation (Senior Hindi Translator) Recruitment Rules, 2018
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.
- 4. Disqualification: No person -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax: Where Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Labour and Employment, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of	Number of post	Classification	LEVEL in the	Whether selection	Age limit for direct
Post			Pay Matrix	post or Non-selection	recruits
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Hindi	97* (2018)	Group 'B'	Level-07	Selection post.	Not Applicable
Translator	*Subject to		(Rs.44,900 -	_	
	variation		1,42,400)		
	dependent on				
	workload.				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Hindi Translator in Level-06 (Rs.35400 - 112400) in the pay matrix with 5 years' regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-  (i) Additional Central Provident Fund Commissioner (Human Resource) - Chairman  (ii) Regional Provident Fund Commissioner, Grade - I (Human Resource) - Member  (iii) Director (Official Language) failing which the senior most Deputy Director (Official Language) - Member	Not Applicable.

SUNIL BARTHWAL Central Provident Fund Commissioner and Secretary, Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./227/18]